

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग।

पत्रांक 228(HSN)सं0सं0- 35/NTCP/2015,

राँची, दिनांक 24.11.15

अधिसूचना

सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन), अधिनियम 2003 (COTPA) के धारा-7 की उपधारा (2) के अनुसरण के तहत झारखण्ड राज्य में विनिर्दिष्ट चेतावनी के बिना किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद/सिगरेट/खुली सिगरेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई जाती है। उक्त अधिनियम की धारा-7 की उपधारा-2 का उल्लंघन COTPA, 2003 की धारा-20 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है।


यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।


(के0 विद्यासागर)
20/11/15
प्रधान सचिव

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार
कल्याण विभाग
झारखण्ड सरकार।

ज्ञापांक 228(HSN)सं0सं0- 35/NTCP/2015, राँची, दिनांक 24.11.15/

प्रतिलिपि :-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना को झारखण्ड राज्य के असाधारण गजट में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 1000 प्रतियाँ अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।


(के0 विद्यासागर)
20/11/15

ज्ञापांक 228(HSN)सं0सं0- 35/NTCP/2015, राँची, दिनांक 24.11.15/

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी मंत्रीगण के आप्त सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/वरीय पुलिस अधीक्षक, जमशेदपुर एवं राँची/सभी पुलिस अधीक्षक (रेल सहित)/सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/प्रभारी सचिव, झारखण्ड विधान सभा/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य आयकर आयुक्त, झारखण्ड, राँची/आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद, झारखण्ड, राँची/मंडल रेल प्रबंधक, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(के0 विद्यासागर)
20/11/15